भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1086**

दिनांक 09 मार्च, 2017 को उत्‍तर के लिए

**कुपोषित बच्‍चों के लिए वित्‍तीय मापदंड**

**1086. श्री मोतीलाल वोरा :**

क्‍या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडएस) के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन के अंतर्गत वर्ष 2012 में पूरक पोषण आहार के लिए वित्‍तीय मापदंड में वृद्धि कर 6 माह से 6 वर्ष की आयु के सामान्‍य एवं मध्‍यम कुपोषित बच्‍चों के लिए 6/- प्रति हितग्राही प्रतिदिन और इसी आयु के गंभीर कुपोषित बच्‍चों के लिए 9/- प्रति हितग्राही प्रतिदिन निर्धारित किए गए थे;

(ख) क्‍या पिछले पांच वर्षों में खाद्य सामग्री की दरों में हुई वृद्धि को देखते हुए क्रमश: 6/- और 9/-रुपये में कुपोषित और गंभीर रूप से कुपोषित बच्‍चों को पूरक आहार संभव है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्‍या सरकार वित्‍तीय मानदंड में वृद्धि करेगी और कब तक?

**उत्‍तर**

श्रीमती कृष्‍णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री

(क) : जी, हां।

(ख) और (ग) : सरकार को 2012 में पूरक पोषण लागत मानदंड के गत संशोधन से खाद्य मदों की दरों में वृद्धि की जानकारी है। सरकार इस स्‍थिति में सुधार के लिए आवश्‍यक कदम उठा रही है।

\*\*\*\*\*